26/3/1५ वकील परिवादी उप0 पत्रावली पर बहस सुनी गई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षेप
इस प्रकार है कि प्रा0पत्र मामला लोक निवास
धारा 212 भू रा अ के तहत पेश कर विवादित भूमि
खसरा नं0 1946 वाके ग्राम करौली पर निषेधाज्ञा आदेश
जारी करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर न्यायालय
द्वारा पूर्व में दि० दिनांक 8.8.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी की। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के
अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना
उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि पूर्व जारी
अस्थाई आदेश दिनांक 8.8.2018 को मूल वाद की
निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली हस्ब
शुमार होकर [illegible] मूल वाद के साथ शामिल
रहे। आदेश [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)